| क्रमांक | हुक्म या कार्यवाही तथा हस्ताक्षरादि आदेश | नकल व अनुलिपि अधिनियम की उप धारा की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | [illegible] 1/8/22 | |
| [illegible] | पत्रावली पेश हुयी वकील प्रार्थी उपस्थित। बाद बहस दोनों पत्रावली निर्णय 21/5/22 को पेश हो। | |
| [illegible] | [illegible] 15/11/22 | |
| [illegible] | [illegible] 31/1/22 | |
| [illegible] | [illegible] 13/4/22 | |
| [illegible] | [illegible] 13/5/22 | |
| 13/5/22 | पत्रावली पेश हुयी। बहस अधीन प्रार्थी हुयी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय 23/05/22 को पेश हो। | |

| हुक्म या कार्यवाही तथा हस्ताक्षरादि आदेश | नकल व अनुलिपि अधिनियम की उप धारा की तामील में जारी हुए |
|---|---|

पत्रावली अन्तर्गत निर्णय आदेश पेश हुयी। [illegible] प्राप्त हुयी। पत्रावली के दस्तूर पूर्व में पूरी हो चुकी है। [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दर्शाकर कहते हुए केवल यिया या कि तहसील [illegible] खाता की इतनी पत्रावली सम्बन्ध बन्धुओं लिखा [illegible] अपनी खाता सं0 133 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम मधु पुत्र कानाराम व मधुसूदन पुत्र सरस्वती दर्ज रिकार्ड में [illegible] है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय [illegible] तहसील अधिकारी ने खातेदार का कॉलम नाम मधु पुत्र कानाराम व नाम की जिगह पर किसी भूमि में मधुसूदन पुत्र सरस्वती राजस्व दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड बैंक खाता की प्रतिलिपि पेश की जिसमें प्रार्थी का सही नाम मधुसूदन पुत्र कानाराम है।

बहस पर मनन में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षीगण अधिकारी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी खातेदार का नाम मधु पुत्र कानाराम मधुसूदन पुत्र सरस्वती राजस्व दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी का कथन कि खातेदार प्रार्थी का सही नाम मधुसूदन पुत्र कानाराम है की पुष्टि आधार कार्ड पहचान पत्र राशन कार्ड बैंक खाता की प्रतिलिपि से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते है

| राजस्व ग्राम | भूमि का विवरण | वर्तमान प्रविष्टि | अमल दरामद की जाने वाली प्रविष्टि |
|---|---|---|---|
| दला की ढाणी | खाता सं0 133 | मधु पुत्र कानाराम 4 मधुसूदन पुत्र सरस्वती | मधुसूदन पुत्र कानाराम |

शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद कैंसल शुमार 5 नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

विशेष सूचना इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]